राजस्थान –सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर प्रतापगढ (राज.)

E-mail :– dm-pra-rj@nic.in Fax No- 01478-222262

क्रमांक : राजस्व/भूआ./2022–23/2270-75 दिनांक :– 13.06.2022

–:: संशोधित आदेश :: –

उपवन संरक्षक प्रतापगढ़ के पत्र क्रमांक एफ/तक/उवस/2021–22/3450–51 दिनांक 08.06.2022 के अनुक्रम में कार्यालय से जारी आदेश क्रमांक क्रमांक : राजस्व/भूआ./2022–23/2201–06 दिनांक :– 31.05.2022 अन्तर्गत प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित रकबा 3.466 के स्थान पर 3.468 किये जाने हेतु पुर्व आदेश आंशिक रूप से संशोधित कर जारी किया जाता है।

यह कि अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड प्रथम प्रतापगढ़ के पत्र क्रमांक :– 2021–22/50 दिनांक 27.12.2021 के द्वारा राज्य मार्ग संख्या 81 (धरियावद–प्रतापगढ़–मन्दसौर) (58/0 K.M to 59/0 K.M & 98/0 K.M to 98/0 K.M) के मध्य आने वाले वन भूमि रकबा 3.468 हैक्टर की क्षतिपूर्ति हेतु गैर वन भूमि रकबा वन विभाग को अन्तरित करने के क्रम में तहसीलदार प्रतापगढ़ के पत्र क्रमांक :– तहसील/राजस्व/2022/1284 दिनांक 20.01.22 के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार राजस्व ग्राम आमलीखोरा की आराजी संख्या 59 मीन रकबा 6.80 हैक्टर किस्म मगरी भूमि में से 3.468 हैक्टर भूमि वन विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित की गई थी।

उक्त क्रम में कार्यालय के पत्र क्रमांक :– राजस्व/विविध/2021–22/1466–67 दिनांक 27.01.2022 के द्वारा उप वन संरक्षक प्रतापगढ़ को लिखा जाने पर उनके पत्र क्रमांक :– एफ./तक./उवसं./2021–22/2915 दिनांक 06.05.2022 के द्वारा वन भूमि के बदले प्रस्तावित गैर वन भूमि को वन विभाग के नाम आवंटित/अन्तरित किए जान की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः राज्य मार्ग संख्या 81 (धरियावद–प्रतापगढ़–मन्दसौर) (58/0 K.M to 59/0 K.M & 98/0 K.M to 98/0 K.M) के मध्य आने वाले वन भूमि रकबा 3.468 हैक्टर की क्षतिपूर्ति हेतु राजस्व ग्राम आमलीखोरा की आराजी संख्या 59 मीन रकबा 6.80 हैक्टर किस्म मगरी भूमि में से 3.468 हैक्टर भूमि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत Set Apart की जाकर उक्त भूमि रकबा Forest Land Bank में समायोजित करते हुए वन विभाग को वृक्षारोपण एवं वानिकी कार्यो हेतु आवंटित की जाती है।

तहसीलदार प्रतापगढ़ आरक्षित/आवंटित भूमि का भौतिक रूप से कब्जा क्षेत्रिय वन अधिकारी, रैंज प्रतापगढ़ को सुपुर्द कर राजस्व अभिलेख में दर्ज करें व नक्शे में तरमीम कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। आवंटित/आरक्षित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ नहीं किया जा सकेगा।

(सौरभ स्वामी)
जिला कलक्टर
o/c प्रतापगढ़

क्रमांक : राजस्व/भूआ./2022–23/ दिनांक :– 13.06.2022

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़
2. उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़
3. तहसीलदार, प्रतापगढ़
4. क्षेत्रिय वन अधिकारी, रैंज प्रतपगढ़
5. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड प्रथम प्रतापगढ़
6. ग्राम पंचायत नारायण खेड़ा पंचायत समिति प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़
7. आदेश पंजिका।

जिला कलक्टर
o/c प्रतापगढ़